

न्यायालय राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर

प्र0 क्र0 निगरानी -एक/निग0/विदिशा/भू-रा/2017/

1/A.ग.रा.नि.विदिशा/श्रवण/2017/4129

श्रीमती किरण कपूर पत्नी श्री अजीत कपूर
निवासी अंदर किला, बैस दरवाजा
तहसील व जिला विदिशा, मध्यप्रदेश

श्री मती राजनी अक्षय शर्मा
द्वारा आज दि. 2/11/17 को वका
प्रस्तुत

— आवेदिका

विरुद्ध

- 1-महेन्द्र कपूर
- 2-राजमोहन कपूर
- 3-रवि कपूर
- 4-अजीत कपूर पुत्रगण स्व0 सत्यजीवन कपूर
- 5-श्रीमती मंजू कपूर पत्नी रतनलाल पुत्री स्व
स्व0 सत्यजीवन कपूर
- 6-श्रीमती मधु कपूर पत्नी श्री रतनलाल पुत्री
स्व0 सत्यजीवन कपूर
- 7-श्रीमती कल्पना टण्डन पत्नी श्री श्यामसुन्दर
टण्डन समस्त निवासीगण अंदर किला, बैस
छरवाजा, वार्ड क्रमांक14, तहसील व जिला
विदिशा, म0प्र0

— अनावेदकगण

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0प्र0 भू-राजस्व संहिता-1959 विरुद्ध आदेश दिनांक
23.10.2017 पारित द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, विदिशा, तहसील व जिला
विदिशा के प्र0क्र0 117/अपील/2015-16 से परिवेदित होकर प्रस्तुत है।

श्रीमान् महोदय,


निगरानी आवेदन-पत्र अंदर अवधि निम्न प्रकार प्रस्तुत है:-

3

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - एक/निगरानी/विदिशा/भू.रा./2017/4129

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
05-12-18	<p>आवेदक की ओर से यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 24-4-19 को कलेक्टर, जिला विदिशा के समक्ष उपस्थित हों।</p> <p style="text-align: right;">  प्रशासकीय सदस्य </p>	